


हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, कांगड़ा

हिमाचल प्रदेश सरकार का उपक्रम

उच्च शिक्षा/तकनीकी अध्ययन के लिए ब्याज मुक्त ऋण के लिए आवेदन-पत्र

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं
विकास निगम कांगड़ा।



मैं (संस्थान का नाम) में पाठ्यक्रम

जिसकी अवधि वर्ष वर्ष तक है मैं पढ़ रहा हूँ/प्रवेश लेना चाहता हूँ। मेरे माता पिता/अविभावक इस पाठ्यक्रम का पूर्ण खर्च उठाने में असमर्थ हैं अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे रु0..... रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाये।

1. मेरा विवरण निम्न है :—

- (क) नाम
- (ख) जन्म तिथि
- (ग) पिता/अविभावक का नाम
- (घ) यदि अविभावक है तो उसका प्रार्थी से सम्बन्ध
- (ङ) पिता/अविभावक का पूर्ण स्थाई पता

2. जाति (प्रमाण-पत्र संलग्न है)

3. शैक्षणिक योग्यता का विवरण (दसवीं तथा उसके बाद)

4. क्रमशः

| परीक्षा का नाम | संस्थान जहाँ से परीक्षा पास की | वर्ष जिसमें परीक्षा उत्तीर्ण की गई | प्राप्त अंकों की प्रतिशतता |
|----------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| | | | |

कला/साहित्य/तकनीकी/व्यावसायिक

वर्ष

प्राप्त अंकों की प्रतिशतता

प्रथम जमानतदार का ब्यान

मैं, पुत्र/पत्नी
गांव डा0 तहसील
जिला हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी हूं और मैं श्री
पुत्र/पत्नी गांव डाकघर
तहसील जिला हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास
निगम से प्राप्त मु0 रुपये के ऋण के सम्बन्ध में जमानत देने के लिए अपनी सहमति प्रकट
करता हूं ।

जमानतदार के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान ।

द्वितीय जमानतदार का ब्यान

मैं, पुत्र/पत्नी गांव
डाकघर तहसील जिला
का निवासी हूं और मैं श्री पुत्र/पत्नी गांव
डाकघर तहसील जिला
हिमाचल प्रदेश की ओर से हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम से प्राप्त मु0 रुपये
के ऋण के सम्बन्ध में जमानत देने के लिए अपनी सहमति प्रकट करता हूं ।

जमानतदार के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान ।

11. प्रधानाचार्य का प्रमाण-पत्र :

कुमारी/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी जिन्होंने इस संस्थान में दिनांक
पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है कि
पंजीकरण संख्या है इसने सत्र/वर्ष
उत्तीर्ण कर लिए हैं । यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थना-पत्र के मद संख्या-8 पर दिए गए खर्च का अनुमान ठीक है और
इसके पक्ष में मु0 का ऋण स्वीकृत करने की सिफारिश की जाती है । यह भी
प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्थान विश्वविद्यालय/भारत सरकार
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है ।

हस्ताक्षर
नाम
पद नाम (मोहर सहित) ।

12. कार्यालय प्रयोग हेतु :

कुमारी/श्री/श्रीमति
के पक्ष में रुपये (शब्दों में)
बिना व्याज ऋण के रूप में कालेज/शिक्षा संस्थान
में पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु देने की सिफारिश की जाती है
तथा यह उपरोक्त संस्था के माध्यम से विद्यार्थी श्री/श्रीमती/कुमारी
को मासिक/त्रैमासिक/अर्धमासिक किस्तों में रुपये की
राशि के हिाब निदेशक/प्राचार्य के माध्यम से हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा निर्धारित नियमों के
अनुसार वितरण किया जाएगा ।

प्राधिकृत अधिकारी ।